


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">18-5-2018</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">एकल-पीठ</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">उपस्थिति :</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-top: 20px;">निर्णय</p> <p style="text-align: justify; font-size: 1.0em;">यह निगरानी अन्तर्गत धारा-230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान उप खण्ड अधिकारी, झुंझनू के निर्णय दिनांक 20-7-2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान उप खण्ड अधिकारी, झुंझनू ने अपने समक्ष जैरकार दावा संख्या-126/97 शीर्षक मण्डावा पिंजरा पोल ट्रस्ट बनाम बजरंगलाल आदि अन्तर्गत धारा-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादी / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश-1 नियम-10(2) सी.पी.सी. को खारिज किया है।</p> <p style="text-align: justify; font-size: 1.0em; margin-top: 20px;">उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी, बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।</p> <p style="text-align: justify; font-size: 1.0em; margin-top: 20px;">विद्वान उप खण्ड अधिकारी, झुंझनू द्वारा वादी / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-1 नियम-10(2) सी.पी.सी. इस आधार पर खारिज किया गया है कि दावा संख्या-126/97 शीर्षक मण्डावा पिंजरा पोल ट्रस्ट जरिये ट्रस्टीज की ओर से प्रस्तुत किया गया है। ट्रस्ट में 6 ट्रस्टी हैं, परन्तु दावा कुल 3 ट्रस्टी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। शेष 3 ट्रस्टी को दावा में वादी अथवा प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। ट्रस्टी द्वारा अगर कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो समस्त ट्रस्टीयों की ओर से प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। इसी आधार पर विद्वान उप खण्ड अधिकारी, झुंझनू ने</p>	

निगरानी / टी.ए. / 5060 / 2002 / झुंझनू
मण्डावा पिंजरा पोल ट्रस्ट आदि **बनाम** **बजरंगलाल आदि**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>निगरानीधीन निर्णय दिनांक 20-7-2002 के द्वारा वादी / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-1 नियम-10(2) सी. पी.सी. को खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।</p> <p style="text-align: center;">फलस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(विजय कुमार सोनी) सदस्य</p>	

निगरानी / टी.ए. / 5060 / 2002 / झुंझनू
मण्डावा पिंजरा पोल ट्रस्ट आदि बनाम बजरंगलाल आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए